

न्यायालय-ए0के0गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)आपराधिक प्रक0क्र0-278 / 2010संस्थित दिनांक-04.06.10

म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुख्यालय भोपाल  
द्वारा-डा0 पी0के0 शर्मा, वैज्ञानिक म0प्र0 प्रदूषण  
नियंत्रण बोर्ड, दीनदयाल नगर ग्वालियर  
जिला-भिण्ड (म0प्र0)

.....अभियोगी

**विरुद्ध**

1. मैं गुरुकृपा एगोटेक प्रा0लि0  
कैडबरी इण्डस्ट्रीज के समीप, गोहद रोड  
मालनपुर भिण्ड
- फरार 2. महावीर प्रसाद अग्रवाल, संचालक  
पुत्र श्री दयालचंद अग्रवाल, मैं0 गुरुकृपा एगोटेक प्रा0लि0  
कैडबरी इण्डस्ट्रीज के समीप, गोहद रोड  
मालनपुर भिण्ड
3. श्री देवेन्द्र कुमार जैन, संचालक, पुत्र श्री भोगीराम जैन  
102 गणपति विला, भास्कर लाईन जयेन्द्रगंज ग्वालियर
4. श्री सतीश कुमार पुत्र श्री सीताराम जैन,  
देवनगर कालोनी, फेस नं0 2, इटावा रोड भिण्ड

.....अभियुक्तगण

—:: निर्णय ::—**{आज दिनांक 28.12.17 को घोषित}**

अभियुक्तगण पर जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 (जिसे अत्र पश्चात "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 24 एवं 43 के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उन्होंने दिनांक 11.12.2008 से 20.01.2010 के मध्य मैसर्स गुरुकृपा एगोटेक प्राइवेट लिमिटेड के भारसाधक होते हुए निर्धारित मध्यप्रदेश राज्य शासन का राजपत्र दिनांक 25.03.1988 के मानकों के अनुसार जल निस्तार सम्मति की शर्तों का पालन न कर जल का निस्तार अधिक गुणवत्ता का दूषित जल परिसर के बाहर निष्काशित किया तथा जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 की धारा 25/28 के अधीन जारी सम्मति की वैधता दिनांक 20.01.2010 को समाप्त होने के उपरांत भी बिना सम्मति का नवीनीकरण कराए उद्योग गुरुकृपा एगोटेक प्राइवेट को उत्पादनरत रखा।

2. प्रकरण में अभियुक्त महावीर पुत्र दयालचंद अग्रवाल फरार घोषित है। यह निर्णय शेष आरोपीगण के संबंध में किया जा रहा है।

3. परिवाद पत्र के अभिवचन संक्षेप में इस प्रकार से है कि म०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मुख्यालय भोपाल को राज्य में जल प्रदूषण रोकने हेतु गठित किया गया है। उसकी ओर से क्षेत्रीय कार्यालय के वैज्ञानिक डा० पी०के० शर्मा द्वारा दिनांक 04.06.2010 को इस आशय का परिवाद पेश किया कि अभियुक्त क्र० 1 में गुरुकृपा एग्रोटेक प्रा०लि० मालनपुर द्वारा तिली धुलाई का कारखाना स्थापित है जिसके अभियुक्त क्र० 2 लगायत 4 डायरेक्टर होकर संचालन के लिए दायी हैं। अधिनियम के अधीन किसी भी उद्योग द्वारा किए जा रहे जल प्रदूषण तथा उसके निस्तार नदी या नाले या जमीन पर किए जाने के संबंध में संबंधित उद्योग को इसकी अनुमति प्रदान कर वार्षिक नवीनीकरण कराना होता है। दिनांक 11.12.08 को पत्र क्र० 4861 के द्वारा उल्लेखित शर्तों पर अभियुक्तगण को सम्मति प्रदान की गयी थी जो कि दिनांक 20.01.2010 तक वैध थी, जिसके अनुसार अभियुक्त क्र० 1 को उपचारित दूषित जल की गुणवत्ता म०प्र० शासन के आदेश दिनांक 25.03.1988 में प्रकाशित मानकों के अनुसार करनी थी। इसके अतिरिक्त उद्योग परिसर में वृक्षारोपण किया जाना था तथा उपचारित दूषित जल का निस्तार परिसर के बाहर नहीं होना चाहिए। अभियुक्तगण द्वारा उक्त सम्मति का पालन नहीं किया गया। इस संबंध में अभियुक्तगण को समय समय पर नोटिस दिए गए किन्तु उनके द्वारा परिसर के बाहर जल मानकों से अधिक दूषित गुणवत्ता का निस्तारित किया जाता रहा, जो कि अधिनियम की धारा 24 के अधीन उल्लंघनीय है। दिनांक 20.01.2010 तक जारी सम्मति के बाद उद्योग द्वारा नवीनीकरण नहीं कराया गया और उद्योग जारी रख उत्पादन करते रहे, जो दण्डनीय हैं। दिनांक 31.10.09 को अनुपचारित दूषित जल का निस्तार परिसर के बाहर किया गया जिसका लीगल नमूना एकत्र कर जांच विश्लेषक से कराए जाने पर अधिक मानक सीमा के परिणामों के अधीन पाया गया। इस प्रकार से उद्योग संचालकों द्वारा वगैर सम्मति के उत्पादन किया जा रहा है जो कि धारा 43, 44 के अधीन दण्डनीय अपराध है। उक्त आशय की परिवाद पत्र के आधार पर न्यायालय द्वारा संज्ञान लेते हुए अभियुक्तगण की उपस्थिति के लिए आदेशिका जारी की। उपस्थिति उपरांत प्रकरण में साक्ष्य ली गयी।

3. अभियुक्तगण को पद क्र० 1 में वर्णित आशय के आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उनके द्वारा अपराध करने से इंकार किया गया। द०प्र०स० की धारा 313 के अधीन अभियुक्तगण ने अपने कथन में निर्दोष होना तथा रंजिशन झूठा फंसाया जाना बताया।

4. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं –

1. क्या अभियुक्तगण ने 11.12.2008 से 20.01.2010 के मध्य मैसर्स गुरुकृपा एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड के भारसाधक होते हुए निर्धारित मध्यप्रदेश राज्य शासन का राजपत्र दिनांक

25.03.1988 के मानकों के अनुसार जल निस्तार सम्मति की शर्तों का पालन न कर जल का निस्तार अधिक गुणवत्ता का दूषित जल परिसर के बाहर निष्काशित किया ?

2. क्या अभियुक्तगण ने उक्त दिनांक के मध्य जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 की धारा 25/28 के अधीन जारी सम्मति की वैधता दिनांक 20.01.2010 को समाप्त होने के उपरांत भी बिना सम्मति का नवीनीकरण कराए उद्योग गुरुकृपा एग्रीटेक प्राइवेट को उत्पादनरत रखा ?

### --: सकारण निष्कर्ष ::--

5. अभियोजन की ओर से प्रकरण में डा० प्रमोद कुमार शर्मा परि०सा० 1, डी०के० शर्मा परि०सा० 2 एवं सी०के० शर्मा परि०सा० 3 को परीक्षित कराया गया है, जबकि अभियुक्तगण की ओर से कोई बचाव साक्ष्य पेश नहीं की गयी। तथ्यों एवं साक्ष्य में उत्पन्न परिस्थितियों में पुनरावृत्ति के निवारण हेतु विचारणीय प्रश्नों का एक साथ निराकरण किया जा रहा है।

6. प्रकरण में डा० प्रमोद कुमार शर्मा परि०सा० 1 ने यह कथन किया है कि वर्ष 2010 में वे प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय दीनदयाल नगर ग्वालियर में वैज्ञानिक के पद पर पदस्थ थे। साक्षी द्वारा अभियुक्तगण के गुरुकृपा एग्रीटेक प्रा० लि० मालनपुर द्वारा तिली धुलाई कारखाना स्थापित होने का कथन करते हुए अभियुक्त क्र० 2 लगायत 4 को उद्योग संचालन हेतु उत्तरदायी होने का कथन किया। यह कथन किया कि बोर्ड द्वारा उद्योग को सशर्त सम्मति एवं लायसेंस जारी किया गया है जिसकी वैधता 20.01.2010 तक थी। लायसेंस की प्रमुख शर्त उद्योग को दूषित जल उपचार संयंत्र का निर्माण कर उपचारित दूषित जल की गुणवत्ता म०प्र० शासन के राजपत्र दिनांक 25.03.88 में प्रकाशित मानकों के अनुरूप होना अनिवार्य बताई। अभियुक्तगण के उद्योग द्वारा शर्त का पालन नहीं किया गया। इस संबंध में क्षेत्रीय अधिकारी ग्वालियर द्वारा कई बार उद्योग को नोटिस दिए गए व समझाईश दी गयी। इस संबंध में मैं गुरुकृपा एग्रीटेक प्रा० लि० के पक्ष में जारी सम्मति व अनुमति पत्र प्र०पी० 2 बताकर उसकी छायाप्रति प्र०पी० 2 सी के रूप में प्रमाणित की है जिसमें सहपत्र 1 लगायत 8 हैं। गुरुकृपा एग्रीटेक को दिए गए नोटिस दिनांक 28.02.2009 प्र०पी० 3 जिसकी छायाप्रति प्र०पी० 3 सी, कारण बताओ नोटिस दिनांक 31.07.09 जिसकी आफिस प्रति प्र०पी० 5 व छायाप्रति प्र०पी० 5 सी के रूप में प्रमाणित किया है।

7. प्रकरण में परिवादी द्वारा अभियुक्तगण के संबंध में परिवाद पत्र प्रस्तुत करने की अधिकारिता को दर्शाने के लिए पत्र क्र० 531 दिनांक 22.02.2010 बताते हुए अधिसूचना दिनांक 02.06.2008 प्रकाशन दिनांक 20.06.2008 की प्रति को प्रस्तुत किया है जिसके अनुसार क्षेत्रीय कार्यालय में पदस्थ द्वितीय श्रेणी अधिकारियों को क्षेत्रीय अधिकारी की स्वीकृति उपरांत न्यायालय में प्रकरण दायर करने

की अधिकारिता दी गयी थी। इसी संबंध में प्र०पी० 1 जिसकी छायाप्रति प्र०पी० 1 सी का आदेश है। इस प्रकार से परिवादी की ओर से अभियुक्तगण के विरुद्ध वैधानिक प्रक्रिया के अनुसार परिवाद पत्र प्रस्तुत किया जाना दर्शित है। साथ ही अभियुक्तगण की ओर से भी परिवाद प्रस्तुति की सक्षमता को चुनौती नहीं दी गयी है। ऐसे में प्रकरण विधिवत प्रस्तुत किया गया है।

8. प्रकरण में मै० गुरुकृपा एग्रीटेक के पक्ष में उपचारित जल दिनांक 20.01.2010 तक निस्तारण की अधिकारिता होने के संबंध में डा० प्रमोद कुमार शर्मा परि०सा० 1 कथन की कण्डिका 2 में बताया है। दस्तावेजों में प्र०पी० 2 जिसकी छायाप्रति प्र०पी० 2 सी का दस्तावेज है जिसके आधार पर क्षेत्रीय अधिकारी म०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिनांक 21.01.2009 से 20.01.2010 तक के लिए सम्मति का नवीनीकरण किए जाने के संबंध में अभिलेख पर है जिसके अनुसार हल्ड सीशम सील्ड 7500 मी० टन/वर्ष तथा भूसी/ब्रान (बाय प्रोडक्ट)-1240 मी० टन/वर्ष के उत्पादन क्षमता हेतु सम्मति का नवीनीकरण किया जाना अभिलेख पर है। अभियुक्तगण के द्वारा अभिकथित दिनांक 20.01.2010 के उपरांत भी उत्पादन बिना सम्मति के जारी रखे जाने के संबंध में परिवाद एवं साक्ष्य में आक्षेप किया गया है, किन्तु ऐसे कोई भी मौखिक अथवा दस्तावेजी साक्ष्य अभिलेख पर नहीं हैं जो कि यह प्रमाणित करती हो कि दिनांक 20.01.2010 के उपरांत भी अभियुक्तगण के द्वारा मै० गुरुकृपा एग्रीटेक में उत्पादन को जारी रखा हो।

9. अभियुक्तगण पर द्वितीयतः आक्षेप यह है कि उनके द्वारा दिनांक 30.10.09 को मै० गुरुकृपा एग्रीटेक से अनुपचारित जल को बाहर निस्तारित किया जो कि निर्धारित गुणवत्ता से अधिक का होकर दूषित की श्रेणी में आता था। इस संबंध में डी०के० शर्मा अ०सा० 2 कथन करते हैं कि दिनांक 30.10.09 को वे क्षेत्रीय कार्यालय प्रदूषण बोर्ड में रसायनिज्ञ के पद पर पदस्थ थे। उक्त दिनांक को उनके द्वारा मै० गुरुकृपा एग्रीटेक प्रा० लि० का दूषित विधिक अनुपचारित जल नमूना फैक्ट्री परिसर से बाहर जाती हुई ड्रेन (नाली) से एकत्र किया था। उक्त नमूने के विश्लेषण हेतु आवंटित करने के लिए जल नमूना प्राप्ति रजिस्टर में प्रविष्टि की गयी। उपरोक्त जल नमूना प्रयोगशाला प्रभारी की ओर विश्लेषण हेतु आवंटित करने की कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया था। उपरोक्त के नोटिस की एक प्रति बी०एस० गुप्ता सुपरवाइजर मै० गुरुकृपा एग्रीटेक प्रा०लि० को दी थी। प्रकरण में उक्त नोटिस प्र०डी० 1 के रूप में साक्षी द्वारा प्रतिपरीक्षण में बताया गया है जिसमें मै० गुरुकृपा एग्रीटेक प्रा० लि० मालनपुर के सुपरवाइजर की हैसियत से बी०एस० गुप्ता द्वारा उक्त नोटिस प्राप्त किए जाने की अभिस्वीकृति अंकित है।

10. सी०के० शर्मा अ०सा० 3 यह कथन करते हैं कि दिनांक 31.10.09 को वे क्षेत्रीय कार्यालय प्रदूषण बोर्ड में कनिष्ठ वैज्ञानिक के पद पर पदस्थ थे। उक्त दिनांक को उनके द्वारा अनुपचारित दूषित जल नमूना के विधिक विश्लेषण का कार्य किया था। साक्षी कथन करते हैं कि उक्त नमूना



उन्हें क्षेत्रीय कार्यालय के रसायनज्ञ डा० डी०के० शर्मा परि०सा० 2 द्वारा सुपुर्द किया गया था। विश्लेषण के समय जल नमूना पर्यावरण अधिनियम के तहत संतोषप्रद व सीलबंद था। विश्लेषण में उनके द्वारा टोटल सॉलेड्स, सस्पेंडेड सॉलेड्स, बी०ओ०डी०, सी०ओ०डी० एवं ऑयल व ग्रीस आदि गुणवत्ता के निर्धारित मानकों से अधिक मात्रा में पाए गए थे जिसका प्रतिवेदन प्र०पी० 7 के रूप में बताकर उस पर अपने ए से ए भाग पर हस्ताक्षर प्रमाणित करते हैं। प्रकरण में मै० गुरुकृपा के पक्ष में जारी सम्मति नवीनीकरण पत्र प्रपी० 2 सी संलग्न प्रपत्र अनुसार संस्था से निस्तारित होने वाले जल की गुणवत्ता की मात्रा की अधिकतम सीमा को अनुलग्न अनुसार निश्चित किया गया है जिसका उल्लेख प्रपत्र के पृष्ठ क्र० 3 पर है। प्र०पी० 7 की रिपोर्ट में सी०के० शर्मा परि०सा० 3 ने टोटल सॉलेड्स, सस्पेंडेड सॉलेड्स, बी०ओ०डी०, सी०ओ०डी० एवं ऑयल व ग्रीस आदि की अधिकतम नमूने में होने वाली मात्रा से कहीं अधिक पाए जाने के संबंध में निष्कर्ष दिए हैं। इस प्रकार से उक्त नमूना में संग्रहित जल, जल प्रदूषण के सम्मति प्रदान मानकों से अधिक दूषित होने की श्रेणी में आता था।

11. अभियुक्तगण की ओर से यह बचाव लिया गया है कि उनके द्वारा किसी जल का निस्तारण फैक्ट्री के बाहर नहीं किया जा रहा था, बल्कि अनुपचारित दूषित जल फैक्ट्री में एकत्र होता था। इस संबंध में नमूना लेने वाले रसायनज्ञ डा० डी०के० शर्मा परि०सा० 2 से प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 3 में पूछा गया तो साक्षी ने यह तथ्य अवश्य स्वीकार किया कि फैक्ट्री के अंदर एक कच्चा गड्ढा खुदा हुआ था जिसमें फैक्ट्री का अनुपचारित पानी एकत्रित होता था, किन्तु इस तथ्य से इंकार किया कि फैक्ट्री के बाहर कोई दूषित जल नहीं निकल रहा था। इसी प्रकार से डा० प्रमोद कुमार परि०सा० 1 ने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि फैक्ट्री के अंदर तिली धुलने के बाद खराब पानी एकत्र करने के लिए एक गड्ढा बना था, किन्तु यह साक्षी नमूना लिए जाते समय स्वयं उपस्थित नहीं था ऐसी दशा में उसकी साक्ष्य फैक्ट्री से अनुपचारित जल निस्तारित होने के संबंध में महत्वपूर्ण नहीं हैं।

12. प्रकरण में अभियुक्तगण की ओर से यह भी बचाव लिया गया कि प्र०डी० 1 के दस्तावेज में जिस व्यक्ति को सुपरवाईजर के रूप में नोटिस दिए जाने का तथ्य बताया गया है, उक्त व्यक्ति उनकी फैक्ट्री में सुपरवाईजर नहीं था और यह भी तर्क किया कि किसी स्वतंत्र व्यक्ति को कार्यवाही का साक्षी नहीं बनाया गया है इस कारण से मामला संदेहप्रद है। सर्वप्रथम बी०एस० गुप्ता के सुपरवाईजर न होने के संबंध में जो तर्क प्रस्तुत किया है, तो अभियुक्तगण की ओर से इस संबंध में तथ्य स्पष्ट किया जा सकता था कि अभिकथित दिनांक 30.10.09 को उनके संयंत्र पर सुपरवाईजर के रूप में कौन व्यक्ति कार्यरत था। जहां तक अभियुक्तगण के विरुद्ध किसी स्वतंत्र साक्षी को अभिकथित नमूना ग्रहण किये जाने की कार्यवाही का साक्षी न बनाये जाने का प्रश्न है तो प्रस्तुत परिवाद में सभी साक्षी लोकसेवक हैं, जिनके सदभाविक रूप से कार्य किये जाने के संबंध में

अधिनियम उपधारणा का उपबंध करता है। प्रकरण में साक्षीगण के अभियुक्तगण के विरुद्ध मिथ्या कार्यवाही करने के संबंध में कोई भी संदेहकारी अथवा आपेक्षित कृत्य का आधार नहीं बताया है।

13. उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह तथ्य परिवादी पक्ष प्रमाणित करने में सफल रहा है कि दिनांक उन्होंने दिनांक 11.12.2008 से 20.01.2010 के मध्य दिनांक 30.10.2009 को मैसर्स गुरुकृपा एगरोटेक प्राइवेट लिमिटेड के भारसाधक होते हुए निर्धारित मध्यप्रदेश राज्य शासन का राजपत्र दिनांक 25.03.1988 के मानकों के अनुसार जल निस्तार सम्मति की शर्तों का पालन न कर जल का निस्तार अधिक गुणवत्ता का दूषित जल परिसर के बाहर निष्काशित किया। अभियुक्तगण क्र० 03 व 04 का कृत्य अधिनियम की धारा 43 सह पठित धारा 24 के अधीन दण्डनीय अपराध के रूप में प्रमाणित पाया जाता है। अतः उक्त आरोप के अधीन दोषसिद्ध किया जाता है।

14. अभियुक्तगण के जमानत मुचलके भारहीन किए गए। उन्हें अभिरक्षा में लिया गया।

15. अभियुक्तगण के स्वेच्छिक अपराध को देखते हुए एवं उनकी परिपक्व आयु को देखते हुए उन्हें परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों का लाभ दिये जाने का कोई आधार नहीं पाया जाता है। दण्ड के प्रश्न पर अभियुक्तगण व उनके विद्वान अभिभाषक को सुने जाने हेतु निर्णय लेखन कुछ समय के लिए स्थगित किया जाता है।

(A.K.Gupta)

Judicial Magistrate First Class  
Gohad distt.Bhind (M.P.)

#### पुनश्च:

16. अभियुक्तगण एवं उनके विद्वान अभिभाषक को सुना गया। उन्होंने अभियुक्तगण की प्रथम दोषसिद्धि का कथन करते हुए अभियुक्तगण के व्यापारी एवं सामाजिक प्रतिष्ठा वाले व्यक्ति होने से कम से कम दण्ड से दण्डित किए जाने का निवेदन किया है। परिवादी पक्ष को भी सुना गया।

17. अभियुक्तगण की पूर्व दोषसिद्धि के संबंध में कोई तथ्य अभिलेख पर नहीं हैं। अभियुक्तगण व्यवसायी है, किन्तु दूसरी ओर अभियुक्तगण पर अधिनियम के अधीन दूषित जल खुले में अनुपचारित रूप से छोड़कर पर्यावरण एवं प्राणियों के जीवन को संकटपन्न करने का गंभीर अपराध प्रमाणित पाया गया है। अतः अभियुक्तगण **देवेन्द्र कुमार जैन एवं सतीश कुमार जैन** को अधिनियम की धारा 43 सहपठित धारा 24 के अधीन 1 वर्ष 6 माह -1 वर्ष 6 माह के साधारण कारावास एवं 1000-1000 रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड के संदाय में व्यतिक्रम की दशा में अभियुक्तगण को एक-एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगताया जावे।

18. प्रकरण में कोई संपत्ति जब्त नहीं।

19. निर्णय की एक-एक प्रति अविलंब अभियुक्तगण को प्रदान की जावे।
20. अभियुक्तगण की निरोधावधि कुछ नहीं।

निर्णय खुले न्यायालय में टंकित कराकर,  
हस्ताक्षरित, मुद्रांकित एवं दिनांकित  
कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

ए0के0 गुप्ता  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

ए0के0 गुप्ता  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)